# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1930 (श०)

(सं० पटना 359) पटना, शनिवार, 7 जून 2008


आपदा प्रबंधन विभाग

---

अधिसूचना

2 जून 2008

सं०।प्रा०-आ० 11/2006-1360 /आ०प्र०—बिहार राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" के मनोनित किये जाने वाले सदस्यों के लिए वेतन, भत्ता एवं सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।—(i) यह नियमावली आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(ii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं।—(i) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53);

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है धारा 14 की उप-धारा (2) के (ख) एवं (ग) अधीन राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण का सदस्य;

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(घ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित उपाध्यक्ष।

(ii) उन शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है।

3. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय पटना होगा।

4. पदावधि, वेतन और सेवाशर्तें।—(i) अध्यक्ष द्वारा नामित मंत्रिमंडल [illegible] सदस्य से भिन्न कोई सदस्य या उपाध्यक्ष की कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्षों तक होगी:—

परन्तु अध्यक्ष के आदेश से किसी सदस्य को उपरोक्त कार्यकाल सम्पन्न होने के पूर्व भी हटाया जा सकेगा [illegible] प्राधिकार का पुनर्गठन कर नये सदस्य/सदस्यों का मनोनयन किया जा सकेगा।

(ii) प्राधिकरण के नामित [illegible] सेवा निवृत्ति की तिथि तक पद धारण करेंगे। मुख्य मंत्री द्वारा मंत्रिमंडल नामित सदस्य मनोनयन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि [illegible] में शेष कार्यकाल जो भी कम हो तक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(iii) कार्य अवधि पूर्ण होने के उपरांत किसी भी सदस्य/सदस्यों का पुनर्मनोनयन किया जा सकेगा।

(iv) उपाध्यक्ष/सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी।

(v) उपाध्यक्ष का वेतनमान एवं भत्ता राज्य सरकार के मंत्री को अनुज्ञेय वेतन, भत्ते, चिकित्सा सुविधा तथा यात्रा भत्ता एवं अनुमान्य आवास के समतुल्य होगा। अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य सदस्य का वेतन-भत्ता राज्य सरकार के राज्य मंत्री के अनुज्ञेय वेतन, भत्ते, चिकित्सा सुविधा तथा यात्रा-भत्ता एवं अनुमान्य आवास के समतुल्य होगा।

परन्तु यदि वे उपाध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो उनके वेतन में से उक्त पेंशन की रकम को घटा कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहां उपाध्यक्ष/सदस्य अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है वहां उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उपरोक्त पेंशन की रकम घटा कर दी जाएगी।

परन्तु यह और कि उपाध्यक्ष/सदस्य के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

5. निरर्हताएं।— ऐसा कोई व्यक्ति राज्य प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा जो —

(क) न्यायनिर्णित दिवालिया है या किसी समय रहा है; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया है; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने से असमर्थ हो गया है; या

(घ) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है या किया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ड) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाता है अथवा हटा दिया गया या पदच्युत कर दिया गया है।

6. त्यागपत्र।— बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कोई सदस्य राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के पद से त्यागपत्र बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आशय की अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना देकर दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तिथि को ऐसी सूचना राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाती है।

7. रिक्तियां।— जहां राज्य प्राधिकरण के सदस्य के पद पर त्यागपत्र, निरर्हता, मृत्यु या अन्य कारण से कोई रिक्ति होती है तो उक्त रिक्ति नए मनोनयन द्वारा भरी जाएगी।

8. प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधाएं।— आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 16 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 3449, दिनांक 6 नवम्बर 2007 द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा वाहन इत्यादि की व्यवस्था का निरूपण किया जा चुका है जो प्राधिकरण के अधीन कार्यरत रहे।

9. राज्य प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति के सदस्य को संदत्त किए जाने वाले भत्ते।— अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे यात्रा-भत्ते, दैनिक-भत्ता और परिवहन-भत्ता का संदाय किया जायेगा जो राज्य सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण मोहन,
सरकार के उप-सचिव।

---

*The 2nd June 2008*

No.-1 Pra aa-11/2006 —1360/Aa pra— In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the State Government of Bihar hereby makes the following rules regarding Pay and allowances and Service Conditions of the Members to be nominated for the Bihar State Disaster Management Authority, namely :—

1. *Short title and commencement* — (1) These rules may be called the Disaster Management Term of Office and Conditions of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances [illegible] Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Definitions.*— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

(*b*) "Member" means a member of the State Authority nominated by the Chairperson of the State Authority under Sub-clause (2) (b)&(c) of Section 14;

(*c*) "Section" means a section of the Act;

(*d*) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson designated by the Chairperson of the State Authority under sub-section (3) of Section 14.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act all have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The headquarter of Bihar State Disaster Management Authority will be situated at Patna.4.

4. *Tenure, Pay and Service conditions.*—(*i*) The tenure of a person nominated as Vice Chairman or member other than Cabinet Ministers and ex-officio members shall normally be five years:

Provided that any member may be removed before the expiry of his tenure by the order of Chairman or the Authority and may be reconstituted by nominating new members.

(*ii*) Members nominated ex-officio will hold office till their retirement. Members of the Council of Ministers, who are nominated by the Chief Minister, will continue as members for five years, or the remainder of their tenure as members, which ever is earlier.

(*iii*) Member/Members may be renominated after completing his/their tenure.

(*iv*) The maximum age for Vice Chairman/Members will be 70 years.

(*v*) The Vice Chairman of the Authority shall be entitled to Pay, Allowances, Medical facilities, Traveling Allowances and Housing facilities as admissible to a Minister of the Council of Ministers of the State. Other Members nominated by Chairman shall be entitled to Pay, Allowances, Medical facilities, Traveling Allowances and Housing facilities as admissible to Minister of State of Bihar Government.

Provided that if the Vice Chairman or a Member is in receipt of pension at the time of his/her appointment regarding any previous service under the Central Government or any State Government the sum of the said pension will be reduced from his pay.

Provided for that where the Vice Chairman or a member at the time of his appointment, is in receipt of pension regarding any previous service rendered in any corporation established by or under any Central Act or State Act or in any government company owned or controlled by Central Government or State Government, the said sum of pension will be reduced from his pay regarding service as Vice Chairman or a member.

Provided further also that the pay and allowances or other service conditions of the Vice Chairman/Members will not be varied to their disadvantage after their appointment.

5. *Disqualifications.*— No person shall be a member of the State Authority, who-

(*a*) Is, or at any time has been, adjudged insolvent; or

(*b*) Is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(*c*) Becomes incapable of acting as a member, or

(*d*) Is, or has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude

(*e*) Is, or has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government.

6. *Resignation.*— Any Member of the State Authority may resign from the office of Member State Authority by giving a notice in writing under his hand to that effect to the Chairperson of State Authority and such resignation shall take effect from the date on which such notice is received by the Chairperson of the State Authority.

. *Vacancies.*—Where a vacancy occurs in the office of a member of the St[illegible] of resignation, disqualification [illegible], the vacancy may be [illegible] ion.

. *Facilities to Officers and Staff of the Authority for conducting* [illegible] ty.—The State Government has issued a notification 3449 dated 6th November [illegible] 16 of the Disaster Management Act, 2005 regarding creation of Posts of officers [illegible] Authority for conducting affairs of the Authority, provision of transport etc. which [illegible] under the control of the Authority.

. *Allowances to be Paid to a Member of Advisory Committee constituted by* [illegible] ity.—A member of the Advisory Committee constituted under sub section (1) of Sectio[illegible] Act shall be paid such Traveling Allowances, Daily Allowances and Conveyance Allowa[illegible] admissible to Secretary to Government of Bihar.

By order of the Governor,
KRISHNA MOHAN,
*Deputy Secretary to Government*

-------

अधीक्षक, राजकीय सेवन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 359-571+1500-डी०टी०पी०।-